



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



सुहर्ष भगत, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/531/2018-Part-I/-9005

सेवा में,

अराधना पटनायक, भा०प्र०से०

अपर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

पटना, दिनांक 29.10.24

विषय: औषधि आपूर्ति श्रृंखला के सुदृढीकरण हेतु क्रियान्वित DVDMS के संचालन हेतु राज्य, जिला एवं स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करने के संबंध में।

प्रसंग: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक D.O.No..Z 15015/10/2023-NHM-1 दिनांक 12.03.2024 एवं पत्रांक D.O.No.Z.15015/10/2023-NHM-1 दिनांक 09.05.2024 महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को समुचित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण औषधि उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है। इसी क्रम में सम्पूर्ण राज्य में औषधि आपूर्ति श्रृंखला के सुदृढीकरण, औषधियों/चिकित्सकीय सामग्रियों के समुचित भंडारण, रख-रखाव, संधारण को सुनिश्चित करने तथा सामग्रियों के मानक गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत Free Drug Service Initiative (FDSI) को प्रभावी बनाने एवं राज्य के सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं/शल्य सामग्रियों के Inventory प्रबंधन एवं Supply Chain को स्वचालित करने हेतु भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निदेश के आलोक में ई-औषधि (Drug & Vaccines Distribution Management System- DVDMS) क्रियाशील किया गया है। DVDMS का क्रियान्वयन राज्य के निम्नतम स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों (स्वास्थ्य उपकेंद्र तथा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर) तक किया गया है। DVDMS प्रणाली राज्य में औषधि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का मुख्य आधार स्तंभ बन गई है।

2. DVDMS को अत्यधिक प्रभावकारी एवं संस्थागत बनाने हेतु सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इसके क्रियान्वयन के सतत् अनुश्रवण की आवश्यकता है। इस हेतु, प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न स्तर पर DVDMS के संचालन हेतु निम्न प्रकार से नोडल पदाधिकारियों को नामित किया जा रहा है-

राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी- श्री मनीष रंजन, सहायक निदेशक (औषधि), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी- जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी

मेडिकल कॉलेज अस्पताल- उपाधीक्षक अथवा अधीक्षक द्वारा नामित पदाधिकारी

जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- अस्पताल प्रबंधक/प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर- सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (CHO)

विश्वासभाजन

Suharsh
(सुहर्ष भगत) 29/10/24

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



सुहर्ष भगत, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/531/2018-Part-I/-----

सेवा में,

अराधना पटनायक, भा०प्र०से०
अपर सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

पटना, दिनांक

विषय: औषधि आपूर्ति श्रृंखला के सुदृढीकरण हेतु क्रियान्वित DVDMS के संचालन हेतु राज्य, जिला एवं स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करने के संबंध में।

प्रसंग: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक D.O.No..Z 15015/10/2023-NHM-1 दिनांक 12.03.2024 एवं पत्रांक D.O.No.Z.15015/10/2023-NHM-1 दिनांक 09.05.2024

महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को समुचित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण औषधि उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है। इसी क्रम में सम्पूर्ण राज्य में औषधि आपूर्ति श्रृंखला के सुदृढीकरण, औषधियों/चिकित्सकीय सामग्रियों के समुचित भंडारण, रख-रखाव, संधारण को सुनिश्चित करने तथा सामग्रियों के मानक गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत Free Drug Service Initiative (FDSI) को प्रभावी बनाने एवं राज्य के सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं/शल्य सामग्रियों के Inventory प्रबंधन एवं Supply Chain को स्वचालित करने हेतु भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निदेश के आलोक में ई-औषधि (Drug & Vaccines Distribution Management System- DVDMS) क्रियाशील किया गया है। DVDMS का क्रियान्वयन राज्य के निम्नतम स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों (स्वास्थ्य उपकेंद्र तथा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर) तक किया गया है। DVDMS प्रणाली राज्य में औषधि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का मुख्य आधार स्तंभ बन गई है।

2. DVDMS को अत्यधिक प्रभावकारी एवं संस्थागत बनाने हेतु सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इसके क्रियान्वयन के सतत् अनुश्रवण की आवश्यकता है। इस हेतु, प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न स्तर पर DVDMS के संचालन हेतु निम्न प्रकार से नोडल पदाधिकारियों को नामित किया जा रहा है-

राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी- श्री मनीष रंजन, सहायक निदेशक (औषधि), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी- जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी

मेडिकल कॉलेज अस्पताल- उपाधीक्षक अथवा अधीक्षक द्वारा नामित पदाधिकारी

जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- अस्पताल प्रबंधक/प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर- सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (CHO)

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुहर्ष भगत)

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार

स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

दूरभाष : 0612-2290328, वेबसाइट : <http://shs.bihar.gov.in>



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



ज्ञापक - SHSB/PM/531/2018-Part-I2005.....

पटना, दिनांक.....29/08/2024

प्रतिलिपि :

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविधालय अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- रंगोली पाठक, उपनिदेशक, (MMPC), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला योजना समन्वयक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


कार्यपालक निदेशक 29/08/24

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार